संख्या-684 ई--1/तेरह-2010 499 (2)/2008 टी०सी०-I

प्रेषक,

याद अली,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ०प्र०,इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2010

विषय: आबकारी विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–110/2/पी०एस०/सुदृढ़ीकरण /2010–11, दिनांक 23 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आबकारी विभाग की 4 प्रयोगशालाओं में रसायनों के परीक्षण हेतु उपकरण/मशीन (जी०एल०सी०) 04 अदद एवं यू० वी०–वी०आई०एस० (स्पेक्ट्रो फोटोमीटर) 04 अदद के क्रय हेतु रू० 80,00,000/–(रूपये अस्सी लाख मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपकरणों के क्रय में स्टोर परचेज रूल्स के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

3– चूँकि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय-व्ययक में इस कार्य हेतु कोई व्यवस्था नहीं है और उक्त कार्य अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः रूपये 80,00,000/–(रूपये अस्सी लाख मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप आहरित किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति आगामी अनुपूरक अनुदान के माध्यम से करा ली जायेगी।

4– प्रश्नगत व्यय प्रथमतः "8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201 समेकित निधि से विनियोग" तथा अन्ततः वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 01 के पूँजीगत लेखाशीर्षक 4047– –अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-(आयोजनेत्तर)-00-039-राज्य उत्पाद शुल्क–03–आबकारी विभाग का सशक्तीकरण–00 –26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–9–219(क)/दस–2010, दिनांक 28 अप्रैल, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(याद अली)
उप सचिव

--2